न्यायालय, सब जज–द्वितीय, डुमराँव, बक्सर

टी0 एस0 सं0–67 / 2021

28.05.2024

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद वादी के तरफ से शपथ पत्र के साथ दिए गए आवेदन दिनांक–19.12.2023 आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 एवं विलंब माफी हेतू धारा 5 लिमिटेशन आवेदन दिनांक–19.12.2023 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिववक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत वाद में वादी सं0 2 दिनांक–10.07.2023 को अपने कानूनी उत्तराधिकारी को छोड़कर मर गये है। ऐसी स्थिति में उनके उत्तराधिकारियों का नाम जोड़ा जाना आवश्यक है। अतः वादी सं0 2 का नाम वाद पत्र से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा किया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान मौखिक कथन करते हुए विरोध किया गया है कि आवेदन विहित समय–सीमा की अन्तर्गत दाखिल नहीं किया गया है।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिस्थापन आवेदन समय–सीमा के अन्तर्गत नहीं है। वादी द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन दाखिल किया गया है जिसे 500/–रूपये खर्च पर स्वीकृत किया जाता है तथा विलंब को माफ किया जाता है। पश्चात् प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–19.12.2023 को स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता कार्यालय लिपिक के समक्ष वाद पत्र से वादी सं0–2 उपेन्द्र बहादुर सिंह का नाम कलमजद कर उनके वारिसानों का नाम दामयंती सिंह, जय विजय सिंह, दुर्ग विजय नारायण सिंह, रूद्र प्रताप सिंह का नाम प्रतिस्थापित करें।

दिनांक–25.06.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–द्वितीय